प्रेस विज्ञप्ति
23.07.2026

ईडी ने बेंगलुरु में आईएसआईएस भर्ती एवं आतंकवाद वित्तपोषण मामले में तलाशी अभियान चलाया; 7.50 लाख रुपये की अपराध से प्राप्त आय फ्रीज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 21.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बेंगलुरु स्थित आठ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई आईएसआईएस की कथित भर्ती एवं आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के क्रम में की गई। तलाशी के दौरान कथित अपराध से संबंधित आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए तथा पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1-क) के अंतर्गत 7.50 लाख रुपये की अपराध से प्राप्त आय को फ्रीज किया गया।

यह तलाशी कार्रवाई राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के अंतर्गत की गई। यह मामला बेंगलुरु स्थित इक़रा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड (जीएफएम) ट्रस्ट तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा आईएसआईएस के लिए कथित भर्ती गतिविधियों से संबंधित है।

एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत धारा 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (आतंकवाद हेतु षड्यंत्र एवं प्रारंभिक कृत्य) तथा धारा 18बी (आतंकवादी कृत्यों हेतु व्यक्तियों की भर्ती) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके उपरांत इरफान नासिर (व्यवसायी), अहमद अब्दुल कादर (निजी बैंक में बिजनेस एनालिस्ट), डॉ. मोहम्मद तौकीर महमूद (केआईएमएस, बेंगलुरु से बीडीएस), जुहाब हमीद शकील मन्ना उर्फ जोहैब मन्ना (आईटी पेशेवर) को गिरफ्तार किया गया, जबकि मोहम्मद शिहाब (आईटी पेशेवर) इस मामले में फरार था। एनआईए ने उपर्युक्त पांचों व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया, जिन पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस/आईएसआईएल/दाएश से संबद्ध होने का आरोप है।

एनआईए के आरोपपत्र के अनुसार, आरोपियों ने बेंगलुरु के प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं का कट्टरपंथीकरण कर उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा। आरोप है कि उन्होंने 'इक़रा कैंप' नामक मुस्लिम "व्यक्तित्व विकास" कार्यशाला तथा 'कुरआन सर्किल' नामक साप्ताहिक अध्ययन समूह के माध्यम से युवाओं की पहचान कर उनका कट्टरपंथीकरण किया। इसके बाद व्यक्तियों, ट्रस्टों तथा निजी बचत से धन एकत्रित कर उसे आरोपितों की अवैध यात्रा को तुर्किये के माध्यम से सीरिया भेजने तथा सीरियाई सरकार के विरुद्ध आईएसआईएस के लिए लड़ने हेतु प्रयुक्त किया गया। आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सीएए/एनआरसी विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी भावनाओं का दुरुपयोग कर मुसलमानों को गैर-मुसलमानों के विरुद्ध भड़काया तथा एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया।

ईडी की जांच में यह भी उजागर हुआ कि आरोपियों ने स्वयं तथा इक़रा वेलफेयर ट्रस्ट एवं जीएफएम ट्रस्ट के न्यासियों के माध्यम से धन एकत्रित किया, जिसका उपयोग कथित रूप से

संवेदनशील व्यक्तियों की आईएसआईएस में भर्ती के वित्तपोषण एवं सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

पीएमएलए के अंतर्गत मामले में आगे की जांच जारी है।

आरोपियों एवं संबंधित व्यक्तियों के मध्य संबंधों को दर्शाने वाला फ्लो-चार्ट:

